लोक व्यवस्था (Public Order) को प्रभावित करने वाले समाचार के प्रसारण के लिए दिशा–निर्देश

****

1. सशस्त्र संघर्ष, आंतरिक उपद्रव, सांप्रदायिक हिंसा, अशांति, अपराध और इस तरह के दूसरे हालात से संबंधित खबरों के सभी तरह के प्रसारण को "जनहित" की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

2. मीडिया की जवाबदेही है कि लोगों तक पहुंचने वाली सूचना निष्पक्ष और तथ्यात्मक हो।

3. आतंकवाद या आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने वाला लाइव प्रसारण नहीं होना चाहिए। ऐसी खबरें न दिखाएं जिससे आतंकवादी या आतंकवाद का महिमामंडन होता हो और उसके लिए लोगों में सहानुभूति पैदा हो।

4. लाइव प्रसारण के दौरान बंधकों की पहचान, उनकी संख्या या स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहिए। बचाव में जुटे सुरक्षा बलों की संख्या, उनकी रणनीति और अभियान की स्थिति को भी जाहिर नहीं करना चाहिए।

5. इन चीजों से परहेज करें–

   अ) मीडिया, घटना के दौरान पीड़ित, सुरक्षा बल, अभियान से जुड़े लोगों या आतंकवादियों के साथ लाइव बातचीत से बचे।

   आ) दर्शकों को विचलित करने वाली पुरानी तस्वीरों का बेवजह बार–बार प्रसारण न करें। पुराने दृश्य "फाइल" लिखकर दिखाए जाएं और संभव हो तो तारीख और समय भी लिखें।

6. मृतकों का सम्मान करते हुए उनकी तस्वीरें दिखाने से बचें। पीड़ित और परिजनों के मातम और भावुक क्षणों की ऐसी तस्वीरों या ग्राफिक को दिखाने में खास सावधानी बरतें जिनसे दर्शक विचलित हो सकते हैं।

आपात स्थितियों में खबरों के चुनाव के लिए ये मार्ग–निर्देश बनाए गए हैं लेकिन इसे संपूर्ण न समझा जाए।

18 दिसंबर, 2008
शीर्षक संशोधन : 3 नवम्बर, 2015